भानुशाली हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड

बनाम

मांगीलाल और अन्य

(सिविल अपील सं. 5704/2015)

24 जुलाई, 2015

[टी. एस. ठाकुर, आर. के. अग्रवाल और आर. भानुमति, न्यायाधिपतिगण]

धारा - 64 अचल संपत्ति की बिक्री और खरीद के अनुबंध से उत्पन्न होने वाला विवाद - सहकारी समिति और एक गैर-सदस्य के बीच - क्या धारा 64 के तहत न्यायनिर्णयन योग्य है - अभिनिर्धारित: एक विवाद को धारा 64 के दायरे में लाया जा सकता है, यदि जुड़वाँ आवश्यकताएँ पूरी होती हैं अर्थात (i) विवाद संविधान, प्रबंधन, व्यवसाय या सोसायटी के परिसमापन से संबंधित है (ii) और विवाद धारा 64(1) (ए) से (एफ) के खंड में निर्दिष्ट पक्षों के बीच है - वर्तमान मामले में, हालांकि विवाद अपीलकर्ता समाज के व्यवसाय को छूता है, यह धारा 64 के दायरे में लाए जाने वाली अन्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

धारा 64 (1) (सी) - अभिव्यक्ति 'व्यावसायिक लेनदेन' - का अर्थ और दायरा - अभिनिर्धारित: व्यवसाय का गठन करने के लिए कोई भी गतिविधि व्यवस्थित और निरंतर होनी चाहिए - किसी लेनदेन को 'व्यावसायिक लेनदेन' के रूप में मानने के लिए, यह व्यवसाय द्विपक्षीय रूप से होना चाहिए अर्थात दोनों पक्षों के दृष्टिकोण से व्यवसाय होना चाहिए - विक्रेता द्वारा अचल संपत्ति का एकल लेनदेन, यदि वह लाभ के लिए संपत्ति बेचने के व्यवसाय में नहीं है, तो ऐसा लेनदेन 'व्यावसायिक लेनदेन' अभिव्यक्ति

के बाहर होगा - एक एकल लेन-देन, जैसा कि वर्तमान मामले में है, लेन-देन के दोनों पक्षों के लिए व्यवसाय नहीं बनेगा।

मध्य प्रदेश सामान्य धारा अधिनियम, 1957- धारा 5- 'एकवचन' में 'बहुवचन' और इसके विपरीत को शामिल किया गया – अभिनिर्धाथ्रत किया गया : यह सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब क़ानून में प्रयुक्त योजना या भाषा से कोई विपरीत इरादा नहीं निकाला जा सकता है - वर्तमान प्रकरण में, बहुवचन अभिव्यक्ति 'व्यावसायिक लेनदेन' में सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 64(1)(सी) में एकवचन शामिल नहीं होगा, क्योंकि उस प्रावधान का इरादा केवल ऐसे विवादों को धारा 64 के दायरे में लाना है जो दोनों पक्षों के लिए व्यवसाय से उत्पन्न होते हैं और इसमें एकाधिक लेनदेन शामिल हैं - मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960- धारा 64(1)(सी) - सामान्य खंड अधिनियम, 1897 – धारा 13

शब्द और वाक्यांश - 'व्यावसायिक लेन-देन' - का अर्थ।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित किया : 1. किसी विवाद को मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के दायरे में लाने के लिए, दो आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। (i) यह विवाद "समाज के संविधान, प्रबंधन या व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए या सहकारी समिति के परिसमापन से संबंधित होना चाहिए": और (ii) यह विवाद धारा 64(1) के खंड (ए) से (एफ) में निर्दिष्ट पक्षों के बीच होना चाहिए। यह केवल तब होता है जब किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जुड़वां आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, कि किसी विवाद को धारा 64 के तहत न्यायनिर्णयन के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। दोनों आवश्यकताओं में से किसी एक की विफलता विवाद को उक्त प्रावधान से परे ले जाएगी। [पैरा 3] [698-ई-जी]

2. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता सोसायटी द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार के समक्ष उठाया गया विवाद, एक तरफ उत्तरदाताओं और/या उनके पूर्ववर्तियों के बीच निष्पादित बिक्री समझौते के संदर्भ में बिक्री लेनदेन को पूरा करने के लिए प्रतिवादी के कथित इनकार से संबंधित है और दूसरी ओर अपीलकर्ता-समाज। इसलिए, विवाद की प्रकृति ने सोसायटी के संविधान और प्रबंधन को नजरअंदाज नहीं किया और न ही विवाद का सोसायटी के परिसमापन से कोई लेना-देना था। [पैरा 4] [698-एच; 699-ए-बी]

3. अपीलकर्ताओं-सोसायटी के उद्देश्यों में निर्धारित तरीके से उपयोग के लिए भूमि की खरीद, सोसायटी द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय के पहलुओं में से एक है। ऐसी खरीद सीधे तौर पर सोसायटी के सदस्यों को आवास स्थलों के आवंटन के लिए अर्जित भूमि को विकसित करने के उद्देश्य से जुड़ी होती है। इसलिए, भूमि के अधिग्रहण/खरीद और सदस्यों को घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य के बीच एक स्पष्ट और स्पष्ट संबंध है, जो इन परिस्थितियों में सोसायटी का मुख्य व्यवसाय है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां विवाद को जन्म देने वाले तथ्य समाज की वस्तुओं से संबंधित नहीं हैं या जहां विवाद का गठन करने वाले तथ्यों और समाज की वस्तुओं के बीच संबंध दूरस्थ है या उनकी परस्पर क्रिया उल्लेखनीय रूप से कमजोर या परिधीय है। प्रतिवादियों के स्वामित्व वाली भूमि की खरीद से उत्पन्न विवाद, तत्काल मामले में, अपीलकर्ता-समाज के व्यवसाय से संबंधित विवाद था। [पैरा 13] [704-ई-जी; 705-ए]

सहकारी सेंट्रल बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम अतिरिक्त औद्योगिक न्यायाधिकरण, आंध्र प्रदेश और अन्य (1969) 2 एससीसी 43: 1970 (1) एससीआर 206 - अंतर किया गया।

डेक्कन मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम मेसर्स दलीचंद जुगराज जैन एवं अन्य एआईआर 1969 एससी 1320: 1969 एससीआर 887; ओ.एन.

भटनागर बनाम श्रीमती रुकीबाई नरसिंदास और अन्य (1982) 2 एससीसी 244: 1982 (3) एससीआर 681 – संदर्भित किया गया।

4.1 धारा 64(1) का खंड (सी), उन गैर-सदस्यों के बीच विवादों को दर्शाता है जिन्हें सोसायटी और सोसायटी द्वारा ऋण दिया जाता है या सोसायटी या किसी गैर-सदस्य के बीच विवाद जिनके साथ सोसायटी का "व्यावसायिक लेनदेन" है या हुआ है या ऐसी सोसायटी के तहत दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति। "व्यावसायिक लेन-देन एक सामान्य अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग इस अर्थ में किया जाता है कि यह एक लेन-देन है जिसे एक व्यावसायिक व्यवसाय में एक व्यवसायी करेगा।" किसी लेनदेन को "व्यावसायिक लेनदेन" के रूप में मानने के लिए, यह एक ऐसा लेनदेन होना चाहिए जो लेनदेन के दोनों पक्षों के दृष्टिकोण से उपरोक्त विवरण का उत्तर देता हो। एक पक्ष की ओर से लेन-देन और दूसरे की ओर से कुछ और, यह व्यापारिक लेन-देन नहीं हो सकता। यह द्विपक्षीय रूप से व्यापार होना चाहिए। तो एक एकल लेन-देन देखा गया जहां अचल संपत्ति का मालिक अपनी जमीन किसी सोसायटी को बेचने के लिए सहमत होता है, यह एक व्यावसायिक लेनदेन हो भी सकता है और नहीं भी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि विक्रेता लाभ के लिए संपत्ति बेचने के व्यवसाय में है या नहीं। यदि विक्रेता ऐसे किसी व्यवसाय में नहीं है, तो उसके दृष्टिकोण से लेन-देन व्यावसायिक लेन-देन नहीं होगा, भले ही समाज के दृष्टिकोण से लेन-देन व्यावसायिक लेन-देन हो। ऐसे मामले में संपत्ति की बिक्री का लेनदेन "व्यावसायिक लेनदेन" की अभिव्यक्ति से बाहर होगा। [पैरा 15, 18 और 19] [705-एच; 706-ए; 707-बी-जी]

मणिपुर प्रशासन बनाम एम. नीला चंद्र सिंह एआईआर 1964 एससी 1533: 1964 एससीआर 574; बरेन्द्र प्रसाद रे एवं अन्य बनाम आयकर अधिकारी 'ए' वार्ड, विदेशी अनुभाग और अन्य (1981) 2 एससीसी 693; बी.आर. उद्यम आदि बनाम यूपी राज्य और अन्य आदि (1999) 9 एससीसी 700: 1999 (2)

एससीआर 1111; महेश चन्द्र बनाम क्षेत्रीय प्रबंधक उ.प्र. वित्तीय निगम और अन्य (1993) 2 एससीसी 279: 1992 (1) एससीआर 616; एस मोहन लाल बनाम आर. कोंडैया (1979) 2 एससीसी 616: 1979 (3) एससीआर 12- भरोसा व्यक्त किया।

एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन (तीसरा संस्करण, 2005) पी. रामनाथ अलयार द्वारा- संदर्भित किया गया।

4.2 जबकि अभिव्यक्ति "व्यवसाय" का बहुत व्यापक अर्थ है और इसका अर्थ कोई भी गतिविधि है जो निरंतर और व्यवस्थित है, व्यवसाय क्या होगा इसके बारे में धारणाएं सार्वजनिक से निजी क्षेत्र या औद्योगिक वित्तपोषण से वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्रों तक भिन्न हो सकती हैं। यह निश्चित है कि व्यवसाय बनाने के लिए कोई भी गतिविधि व्यवस्थित और निरंतर होनी चाहिए। वर्तमान मामले जैसी परिस्थितियों में एक एकल लेन-देन लेन-देन के दोनों पक्षों के लिए व्यवसाय नहीं बनेगा। किसी भी दर पर, विधायिका ने "व्यावसायिक लेनदेन" अभिव्यक्ति का उपयोग करते हुए इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ा है कि यह एक तरफ एक समाज और दूसरी तरफ एक तीसरे पक्ष के बीच एक अकेला लेनदेन नहीं है, जो धारा 64(1)(सी) के दायरे में ऐसे किसी भी लेनदेन से उत्पन्न विवाद लाएगा । विवाद उन पक्षों के बीच होना चाहिए जिनके बीच लेन-देन की एक श्रृंखला रही है, प्रत्येक लेन-देन एक व्यावसायिक लेन-देन है ताकि धारा 64 के प्रावधानों को आकर्षित किया जा सके और ऐसे किसी भी लेन-देन से उत्पन्न होने वाले विवाद को इसके दायरे में लाया जाए। [पैरा 21] [709-ई-एच; 710-ए-बी]

4.3 यह कहना सही नहीं है कि म.प्र. सामान्य धारा अधिनियम, 1957 की धारा 5(बी) के प्रावधानों के मद्देनजर "व्यावसायिक लेनदेन" अभिव्यक्ति में प्रयुक्त बहुवचन में एकवचन शामिल होना चाहिए। म.प्र. जनरल क्लॉजेज एक्ट की धारा 5 सेंट्रल जनरल क्लॉजेज एक्ट की धारा 13 की तरह, एकवचन में बहुवचन को शामिल करने का प्रावधान

करता है और इसके विपरीत, केवल तभी जब संदर्भ से कोई अलग इरादा प्रकट न हो। वह इरादा, वर्तमान मामले मे न केवल अधिनियम की योजना से बल्कि उस संदर्भ से भी स्पष्ट प्रतीत होता है जिसमें अभिव्यक्ति "व्यावसायिक लेनदेन" का उपयोग किया गया है। प्रावधान में अंतर्निहित उद्देश्य और मंशा केवल ऐसे विवादों को धारा 64 के दायरे में लाना प्रतीत होता है जैसे कि दोनों पक्षों के लिए व्यवसाय से उत्पन्न होने वाले विवाद और कई लेनदेन शामिल हैं। [पैरा 22] [710-बी-ई]

न्यूजपेपर्स लिमिटेड बनाम राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण, उ.प्र. और अन्य एआईआर 1957 एससी 532: 1957 एससीआर 754; मैसर्स ढांढनिया केडिया एंड कंपनी बनाम आयकर आयुक्त एआईआर 1959 एससी 219: 1959 पूरक एससीआर 204 - पर भरोसा व्यक्त किया ।

4.4 वर्तमान मामले में, एक एकल लेन-देन था जिसके तहत उत्तरदाताओं-विक्रेताओं ने अपीलकर्ता-समाज को भूमि का एक पार्सल बेचने के लिए सहमति व्यक्त की थी, जिसका उपयोग समाज द्वारा उन वस्तुओं के संदर्भ में किया गया था जिनके लिए यह स्थापित किया गया था। इस अर्थ में, यह एक लेनदेन हो सकता है जो अपीलकर्ता-समाज के व्यवसाय को छूता है लेकिन उत्तरदाता वाणिज्यिक या व्यावसायिक गतिविधि के रूप में भूमि बेचने के व्यवसाय में नहीं थे। यदि उत्तरदाता कृषक थे जो अपीलकर्ता-कंपनी को कृषि भूमि बेचने के लिए सहमत हुए थे, तो लेनदेन, उनके दृष्टिकोण से, "व्यावसायिक लेनदेन" नहीं था। यह लेन-देन पारिवारिक आवश्यकता, गरीबी या ऐसी ही किसी अन्य मजबूरी के कारण हुआ होगा। बिना किसी व्यावसायिक तत्व के ऐसा लेन-देन, धारा 64(1)(सी) के अर्थ में "व्यावसायिक लेन-देन"को तो अकेला छोड़ ही दें, इसे "व्यावसायिक लेन-देन" भी नहीं माना जा सकता है। [पैरा 23] [710-जी-एच; 711- बी-सी]

<u>प्रकरण कानून संदर्भ</u>

1969 एससीआर 887	संदर्भित किया गया	पैरा 7
1982 (3) एससीआर 681	संदर्भित किया गया	पैरा 11
1970 (1) एससीआर 206	अंतर किया गया	पैरा 11
1964 एससीआर 574	भरोसा व्यक्त किया	पैरा 19
(1981) 2 एससीसी 693	भरोसा व्यक्त किया	पैरा 20
1999 (2) एससीआर 1111	भरोसा व्यक्त किया	पैरा 20
1992 (1) एससीआर 616	भरोसा व्यक्त किया	पैरा 20
1979 (3) एससीआर 12	भरोसा व्यक्त किया	पैरा 20
1957 एससीआर 754	भरोसा व्यक्त किया	पैरा 22
1959 पूरक एससीआर 204	भरोसा व्यक्त किया	पैरा 22

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5704/2015

रिट याचिका क्रमांक 15195 /2011 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, प्रिंसिपल सीट, जबलपुर के निर्णय और आदेश दिनांक 22.03.2012 से।

अपीलकर्ता के लिए जयंत भूषण, प्रगति नीखरा, विवेक दलाल।

एम. के. मोदी, ए. वेनायगम बालन, आकाश शर्मा, वी.एस. लक्ष्मी, उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय टी. एस. ठाकुर, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया। अनुमति प्रदान की गई।

1. विशेष अनुमति द्वारा इस अपील में विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या उत्तरदाताओं के स्वामित्व वाली अचल संपत्ति की बिक्री और खरीद के अनुबंध से उत्पन्न विवाद एमपी सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 64 के तहत न्यायनिर्णयन के योग्य था। अपने आदेश दिनांक 1 मार्च, 2004 द्वारा, उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, उज्जैन, जिनके समक्ष कार्यवाही शुरू की गई थी, ने उस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया और पक्षकारो के बीच हुए अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन का आदेश दिया। संयुक्त रजिस्ट्रार उज्जैन के समक्ष विक्रेताओं (प्रतिवादियों- यहां) द्वारा की गई पहली अपील विफल रही और उनके आदेश दिनांक 7 अगस्त, 2009 द्वारा खारिज कर दी गई। उक्त दो आदेशों से व्यथित होकर, उत्तरदाताओं ने एम.पी. राज्य सहकारी न्यायाधिकरण, भोपाल के समक्ष दूसरी अपील की, जिसने इसे स्वीकार किया और उप रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेशों और संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेशों को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि क्रेता-समाज द्वारा उठाए गए विवाद को म.प्र. का सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 64 के तहत कार्यवाही का विषय नहीं बनाया जा सकता है। क्रेता-समाज ने रिट याचिका संख्या 15195 /2011 दायर की, जिस पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सुनवाई की और खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के इस विचार से सहमति जताई कि अचल संपत्ति की बिक्री और खरीद के अनुबंध से उत्पन्न विवाद अधिनियम की धारा 64 के दायरे से बाहर है। वर्तमान अपील उक्त निर्णयों और आदेशों की सत्यता पर प्रश्न उठाती है।

2. म.प्र. सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 64, इस स्तर पर, इस प्रकार निकाला जा सकता है:

> "64. विवाद:-(1) तत्समय लागू किसी अन्य कानून में किसी भी बात के होते हुए भी, [संविधान, प्रबंधन या व्यवसाय या किसी सोसायटी के परिसमापन से

संबंधित कोई भी विवाद रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा] विवाद के पक्षकार यदि उसके पक्षकार निम्नलिखित में से हैं:-

(ए) एक सोसायटी, उसकी समिति, कोई पिछली समिति, कोई अतीत या वर्तमान अधिकारी, कोई अतीत या वर्तमान एजेंट, कोई अतीत या वर्तमान नौकर या नामांकित व्यक्ति, किसी मृत एजेंट या सोसायटी के मृत नौकर के उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि, या समाज का परिसमापक;

(बी) एक सदस्य, पूर्व सदस्य या किसी सदस्य, पूर्व सदस्य या समिति के मृतक सदस्य के माध्यम से दावा करने वाला व्यक्ति या समिति का जो कि समिति का सदस्य है;

(सी) सोसायटी के सदस्य के अलावा कोई अन्य व्यक्ति जिसे सोसायटी द्वारा ऋण दिया गया है या जिसके साथ सोसायटी का व्यापारिक लेनदेन है या हुआ है और ऐसे व्यक्ति के माध्यम से दावा करने वाला कोई व्यक्ति।

(डी) किसी सदस्य की ज़मानत, मृत सदस्य के पूर्व सदस्य या सदस्य के अलावा कोई अन्य व्यक्ति जिसे सोसायटी द्वारा ऋण दिया गया है, चाहे ऐसा ज़मानत सोसायटी का सदस्य हो या नहीं।

(ई) कोई अन्य सोसायटी या ऐसी सोसायटी का परिसमापक; और

(एफ) किसी समाज का ऋणदाता।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, एक विवाद में शामिल होंगे -

(i) किसी सोसायटी द्वारा किसी सदस्य, पूर्व सदस्य या मृत सदस्य के नामांकित व्यक्ति, उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि से देय किसी ऋण या मांग के लिए दावा, चाहे ऐसा ऋण या मांग स्वीकार की जाए या नहीं;

(ii) मुख्य देनदार के खिलाफ एक ज़मानतदार द्वारा दावा, जहां सोसायटी ने मुख्य देनदार के डिफ़ॉल्ट के परिणामस्वरूप किसी भी ऋण या मांग के संबंध में ज़मानत से कोई राशि वसूल की है, चाहे ऐसा ऋण हो या मांग मानी जाए या नहीं,

(ii) किसी सदस्य, पूर्व सदस्य या मृत सदस्य, किसी अधिकारी, पूर्व अधिकारी या मृत अधिकारी, किसी नौकर, पूर्व नौकर या मृत नौकर या उसकी समिति, अतीत या वर्तमान, के कारण हुई किसी भी हानि के लिए सोसायटी द्वारा दावा, चाहे वह हानि हो प्रवेश हो या न हो;

(iv) आवास सोसायटी और उसके किरायेदारों या सदस्यों के बीच किरायेदारी अधिकारों सहित अधिकारों आदि के संबंध में एक प्रश्न; और

(v) सोसायटी या समग्र सोसायटी के किसी अधिकारी के चुनाव के संबंध में उत्पन्न कोई विवाद;

बशर्ते कि रजिस्ट्रार चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से लेकर परिणामों की घोषणा तक की अवधि के दौरान इस खंड के तहत किसी भी विवाद पर विचार नहीं करेगा।

(3) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या रजिस्ट्रार को भेजा गया कोई विवाद विवाद है, तो उस पर रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी अदालत में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।"

3. उपरोक्त को सावधानीपूर्वक पढ़ने से पता चलेगा कि किसी विवाद को धारा 64 के दायरे में लाने के लिए दो आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। (i) यह विवाद "समाज के संविधान, प्रबंधन या व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए या सहकारी समिति के परिसमापन से संबंधित होना चाहिए;" और (ii) विवाद धारा 64(1)

(उपरोक्त) के खंड 'ए से एफ' में निर्दिष्ट पक्षों के बीच होना चाहिए। ऐसा तभी होता है जब किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जुड़वां आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तभी किसी विवाद को धारा 64 के तहत न्यायनिर्णयन के योग्य कहा जा सकता है। दोनों आवश्यकताओं में से किसी एक की विफलता विवाद को उक्त प्रावधान से परे ले जाएगी।

4. मौजूदा मामले में अपीलकर्ता-समाज द्वारा उप रजिस्ट्रार के समक्ष उठाया गया विवाद, प्रतिवादी द्वारा बीच में निष्पादित बिक्री समझौते के संदर्भ में एक तरह तो प्रतिवादीगण और/या उनके हितबद्धि पूर्ववर्तियो के बीच बिक्री लेनदेन को पूरा करने से कथित इनकार से और दूसरी तरु अपीलकर्ता समिति से संबंधित है। इसलिए, विवाद की प्रकृति ने सोसायटी के संविधान और प्रबंधन को नजरअंदाज नहीं किया और न ही विवाद का सोसायटी के परिसमापन से कोई लेना-देना था। जिस विवाद को उठाने की कोशिश की गई वह "समाज के व्यवसाय को छूने वाला" विवाद था या नहीं, यह उन प्रश्नों में से एक है जिसकी जांच की जानी चाहिए।

5. जहां तक दूसरी आवश्यकता का संबंध है अर्थात विवाद अधिनियम की धारा 64 के खंड 'ए' में निर्दिष्ट व्यक्तियों के बीच होना चाहिए, यह सामान्य आधार है कि उत्तरदाता-विक्रेता सोसायटी के सदस्य नहीं थे और न ही वे खंड 'ए' में से किसी के अंतर्गत आते हैं, धारा 64(1) के अंतर्गत 'बी', 'डी' या 'एफ' की गणना की गई है। इसका मतलब यह होगा कि उत्तरदाताओं को अधिनियम की धारा 64(1) के खंड (सी) में उल्लिखित व्यक्तियों के विवरण का उत्तर देना होगा। ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय ने भी यह विचार किया है कि उत्तरदाता धारा 64 (1) (सी) के तहत आने वाले पक्षों के विवरण का उत्तर नहीं देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपीलकर्ता-सोसायटी ने न तो उत्तरदाताओं या उनमें से किसी को कोई ऋण दिया था और न ही उत्तरदाताओं का सोसायटी के साथ कोई "व्यावसायिक लेनदेन" था। ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय ने

"व्यावसायिक लेनदेन" शब्द की व्याख्या समाज के व्यवसाय के संबंध में लेनदेन की एक श्रृंखला के रूप में की है। उनके अनुसार, यह अभिव्यक्ति सोसायटी और किसी तीसरे पक्ष के बीच संपत्ति की बिक्री या खरीद के लिए एक भी अनुबंध की पुष्टि नहीं करती।

6. इसलिए, दो अलग-अलग प्रश्न हैं जिनका उत्तर इस न्यायालय को देने की आवश्यकता है:

(1) क्या मौजूदा मामले में विवाद अपीलकर्ता-समाज के व्यवसाय को छूता है? और

(ii) क्या विवाद को उठाना चाहा है क्योंकि यह अपीलकर्ता समाज के पक्ष में प्रतिवादी द्वारा संपत्ति की बिक्री के अनुबंध के निष्पादन से उत्पन्न हुआ है, धारा 64(1)(सी) के अर्थ में व्यावसायिक लेनदेन का गठन करता है।

<u>पुन: प्रश्न संख्या 1:</u>

7. अभिव्यक्ति "समाज का व्यवसाय" को अधिनियम या अन्यत्र परिभाषित नहीं किया गया है। यह अभिव्यक्ति देश की अदालतों में सराहनीय आवृत्ति के साथ व्याख्या के लिए गिर गई है। विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों से न्यायिक राय में भी दरार पैदा हो गई है कि उस अभिव्यक्ति का सही अर्थ और दायरा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1912 की धारा 43(1) और बाद में विभिन्न राज्य अधिनियम किए गए अनुरूप प्रावधानों में दिखाई देता है। निर्णय की एक पंक्ति "समाज का व्यवसाय" अभिव्यक्ति के प्रति उदार दृष्टिकोण रखती है जबकि दूसरी संकीर्ण व्याख्या को प्राथमिकता देती है। इन दोनों को इस न्यायालय ने डेक्कन मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम मेसर्स दलीचंद जुगराज जैन एवं अन्य (एआईआर 1969 एससी 1320)में देखा था। इस विषय पर एक विस्तृत चर्चा के बाद इस न्यायालय ने यह घोषणा की कि

विधायिका ने "समाज का व्यवसाय" अभिव्यक्ति का उपयोग एक संकीर्ण अर्थ में किया है और मध्य प्रदेश और नागपुर के उच्च न्यायालयो द्वारा प्राथमिकता में मद्रास, बॉम्बे और केरल के उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को मंजूरी दी है। ऐसा कहते हुए, इस न्यायालय ने महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 91 (1) में उल्लिखित पांच प्रकार के विवादों की गणना की और कहा:

> "सवाल यह उठता है कि क्या किसी सोसायटी की संपत्ति को छूने वाला विवाद किसी सोसायटी के व्यवसाय को छूने वाला विवाद होगा। यह सोसायटी की प्रकृति और उसे नियंत्रित करने वाले नियमों और उपनियमों पर निर्भर करेगा। आम तौर पर, यदि किसी सोसायटी के पास इमारतें हैं और इमारतों के उन हिस्सों को किराये पर देना जिनकी उसे अपने उद्देश्य के लिए आवश्यकता नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता है कि उन हिस्सों को किराये पर देना समाज के व्यवसाय का एक हिस्सा है। लेकिन यह हो सकता है कि यह किसी सोसायटी का व्यवसाय घर बनाना, खरीदना और उसे अपने सदस्यों को किराये पर देना। उस स्थिति में संपत्ति को किराये पर देना उसके व्यवसाय का हिस्सा हो सकता है। इस मामले में, सोसायटी एक सहकारी बैंक है और आम तौर पर एक सहकारी बैंक को व्यवसाय में संलग्न नहीं कहा जा सकता है जब वह अपने स्वामित्व वाली संपत्तियों को किराए पर देता है। इसलिए, हमें ऐसा लगता है कि एक इमारत में एक किरायेदार और बैंक के एक सदस्य के बीच वर्तमान विवाद, जिसे बाद में बैंक द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है, को बैंक के व्यवसाय से संबंधित विवाद नहीं कहा जा सकता है, और अपील इस छोटे से आधार पर विफल होनी चाहिए ।
>
> XXX XXX XXX

यद्यपि हम इस बात से सहमत हैं कि एक समाज द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय की प्रकृति को समाज के उद्देश्यों से पता लगाया जा सकता है, लेकिन इस प्रस्ताव पर सहमत होना मुश्किल है कि समाज अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी करता है या करने की आवश्यकता है वह कर सकता है। इसके व्यवसाय का हिस्सा कहा जा सकता है। हालाँकि, हम इस बात से सहमत हैं कि 'स्पर्श' शब्द बहुत व्यापक है और इसमें कोई भी मामला शामिल होगा जो किसी समाज के व्यवसाय से संबंधित है या चिंता करता है, लेकिन हमें संदेह है कि क्या शब्द 'प्रभावित का उपयोग छूने शब्द के दायरे को परिभाषित करने में भी किया जाना चाहिए।"

8. विशेष रूप से इस प्रश्न से निपटते हुए कि क्या सोसायटी की संपत्तियों को छूने वाला विवाद सोसायटी के व्यवसाय को छूने वाला विवाद होगा, इस न्यायालय ने कहा:

18. ..... आम तौर पर, यदि कोई सोसायटी इमारतों का मालिक है और इमारतों के उन हिस्सों को किराए पर देती है जिनकी उसे अपने उद्देश्य के लिए आवश्यकता नहीं है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उन हिस्सों को किराए पर देना सोसायटी के व्यवसाय का एक हिस्सा है। लेकिन यह हो सकता है कि मकान बनाना, खरीदना और उसे अपने सदस्यों को किराए पर देना समाज का काम है। उस स्थिति में संपत्ति को किराए पर देना उसके व्यवसाय का हिस्सा हो सकता है..."

9. इस प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा ओ.एन. भटनागर बनाम श्रीमती रुकीबाई नरसिंदास और अन्य (1982) 2 एससीसी 244 में एक बार फिर विचार किया गया। जहां इस न्यायालय ने डेक्कन मर्चेंट के मामले (उपरोक्त) में निर्णय का उल्लेख किया और कहा:

"इस प्रकार, न्यायालय ने मध्य प्रदेश और नागपुर उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए व्यापक अर्थ को प्राथमिकता देते हुए मद्रास, बॉम्बे और केरल उच्च न्यायालयों द्वारा व्यक्त "व्यवसाय" शब्द को दिए गए संकीर्ण अर्थ को अपनाया। डेक्कन में लिए गए दृष्टिकोण के अनुसार मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक मामले के संदर्भ में "व्यवसाय" शब्द का अर्थ "सोसाइटी की कोई भी व्यापारिक या वाणिज्यिक या अन्य समान व्यावसायिक गतिविधि" है। यह माना गया कि अधिनियम की धारा 91(1) में "व्यवसाय" शब्द का उपयोग एक संकीर्ण अर्थ में किया गया है और और इसका अर्थ है सोसायटी की वास्तविक व्यापारिक, वाणिज्यिक या अन्य समान व्यावसायिक गतिविधि, जिसमें सोसायटी अधिनियम और नियमों और इसके उपनियमों के तहत प्रवेश करने के लिए अधिकृत है।"

10. अपने समक्ष मामले के तथ्यों पर, भटनागर के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने माना कि इसके सदस्यों में से किसी एक को आवंटित फ्लैट से किसी अजनबी द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्यवाही शुरू करने का कार्य इसके व्यवसाय का एक हिस्सा नहीं हो सकता है । इस न्यायालय ने माना कि यह अपने सदस्यों को आवासीय आवास प्रदान करने के उद्देश्य से गठित सोसायटी की उतनी ही चिंता थी, जो आम तौर पर इसका व्यवसाय था, जितना सदस्यों का यह सुनिश्चित करना था कि फ्लैट उसके सदस्यों के कब्जे में हैं। इसके द्वारा बनाए गए उपनियमों के साथ, न कि किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे से, जिसके पास ऐसे कब्जे में रहने का कोई जीवित कारण नहीं था। डेक्कन मर्चेंट के मामले (उपरोक्त) में निर्णय अलग-अलग तथ्यों पर आधारित था और अधिनियम की धारा 64 के तहत कार्यवाही का सहारा लिया गया था, जिसे कानूनी रूप से स्वीकार्य माना गया था।

11. इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ द को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम अतिरिक्त औद्योगिक न्यायाधिकरण, आंध्र प्रदेश और अन्य (1969) 2

एससीसी 43 में भी दिया जा सकता है, जिसमें सवाल यह था कि क्या आंध्र प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1964 की धारा 61 में दिखाई देने वाली सोसायटी की अभिव्यक्ति व्यवसाय के एक समाज के कर्मचारी की सेवा की शर्तों में बदलाव के संबंध में विवाद को कवर करती है। उस मामले में ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय ने यह विचार किया था कि ऐसा विवाद अधिनियम की धारा 61 के दायरे से बाहर है। उस दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए इस न्यायालय ने कहा:

> "उस मामले में [डेक्कन मर्चेंट्स केस], इस न्यायालय को महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 91 की व्याख्या करनी थी। [1961 का महाराष्ट्र अधिनियम 32], विवाद सेवा की कई शर्तों में बदलाव से संबंधित था श्रमिकों को राहत केवल औद्योगिक विवाद से निपटने वाले औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा ही दी जा सकती है।
>
> XXX XXX XXX
>
> .... चूंकि "व्यवसाय" शब्द समाज की वास्तविक व्यापार या वाणिज्यिक या अन्य समान व्यावसायिक गतिविधि के बराबर है, और चूंकि यह माना गया है कि इस प्रस्ताव की सदस्यता लेना मुश्किल होगा कि समाज जो कुछ भी करता है या करता है और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक है, जैसे कि अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को निर्धारित करना, इसे अपने व्यवसाय का एक हिस्सा कहा जा सकता है, ऐसा प्रतीत होता है कि सेवा की शर्तों से संबंधित विवाद सोसायटी द्वारा नियोजित कामगारों को सोसायटी के व्यवसाय से संबंधित विवाद नहीं माना जा सकता।"

(जोर दिया गया)

12. मौजूदा मामले में एसोसिएशन के लेखों में निर्धारित अपीलकर्ता-समाज के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

> "इस सोसायटी का उद्देश्य भवन निर्माण, खरीद, बिक्री, किराए पर लेना या किराए पर देना, भवन निर्माण के लिए भूमि तैयार करना और अपने सदस्यों के लिए सामाजिक, शैक्षिक और मनोरंजन से संबंधित व्यवस्था करना होगा और इस समाज को ऐसे कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा जो उसकी राय में आवश्यक और उचित होगा। इन अधिकारों का अर्थ होगा और इसमें भूमि खरीदना, पट्टे पर भूमि लेना, बिक्री, विनिमय, बंधक, पट्टे पर देना, उप-पट्टा देना, त्यागपत्र देना या त्यागपत्र स्वीकार करना तथा अन्य सभी संबंधित कार्य करना तथा भवन को उचित एवं आवश्यक प्रतिबंधों पर किश्तों पर बेचना, भवन निर्माण की सुविधा के लिए ऋण अथवा ऋण की गारंटी देना, मरम्मत कराना तथा वसीयत करना शामिल होगा। इसमें इससे संबंधित कार्य करने के अन्य अधिकार शामिल हैं।"

13. ऊपर दी गई वस्तुओं में निर्धारित तरीके से उपयोग के लिए भूमि की खरीद, इसलिए, समाज द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय के पहलुओं में से एक है। ऐसी खरीद सीधे तौर पर सोसायटी के सदस्यों को आवास स्थलों के आवंटन के लिए अर्जित भूमि को विकसित करने के उद्देश्य से जुड़ी होती है। इसलिए, भूमि के अधिग्रहण/खरीद और सदस्यों को घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य के बीच एक स्पष्ट और स्पष्ट संबंध है, जो इन परिस्थितियों में सोसायटी का मुख्य व्यवसाय है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां विवाद को जन्म देने वाले तथ्य समाज की वस्तुओं से संबंधित नहीं हैं या जहां विवाद का गठन करने वाले तथ्यों और समाज की वस्तुओं के बीच संबंध दूरस्थ है या उनका परस्पर संबंध उल्लेखनीय रूप से कमजोर या परिधीय है, जैसा कि सहकारी सेंट्रल बैंक

लिमिटेड के मामले (उपरोक्त) में स्थिति थी, जिसमें सोसायटी के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में बदलाव शामिल है। इस दृष्टि से हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि प्रतिवादियों के स्वामित्व वाली भूमि की खरीद से उत्पन्न विवाद, तत्काल मामले में, अपीलकर्ता-समाज के व्यवसाय को छूने वाला विवाद था। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर तदनुसार दिया गया है।

पुन: प्रश्न संख्या 2:

14. किसी विवाद को धारा 64 के दायरे में लाने के लिए दूसरी आवश्यक आवश्यकता यह है कि विवाद के पक्षकार अधिनियम की धारा 64 को वित्तपोषित करने वाले उप-खंड 'ए' में सूचीबद्ध होने चाहिए। धारा 64(1) का खंड (ए) किसी सोसायटी, उसकी समिति, किसी पूर्व समिति, किसी पूर्व या वर्तमान अधिकारी, किसी पूर्व या वर्तमान एजेंट, किसी पूर्व या वर्तमान नौकर या नामांकित व्यक्ति, किसी के उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधियों सोसायटी का मृत एजेंट या मृत नौकर, या सोसायटी का परिसमापक के बीच विवादों की परिकल्पना करता है। इस खंड का स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। यह खंड 'बी' के बारे में भी सच है, जिसके तहत किसी सदस्य, पूर्व सदस्य या किसी सदस्य, पूर्व सदस्य या मृत सदस्य के माध्यम से दावा करने वाले किसी सोसायटी या सोसायटी के सदस्य, जो सोसायटी का सदस्य है, के बीच विवाद को धारा 64 के दायरे में लाया जाता है। फिलहाल हम धारा 64 (1) के खंड 'सी' से निपटेंगे, जिस पर अपीलकर्ता-समाज के वकील ने भरोसा जताया है, लेकिन ऐसा करने से पहले हम खंड (डी), (ई) और (एफ) के आवेदन से निपट सकते हैं। धारा 64 (1) के खंड (डी) में किसी सदस्य, सोसायटी के पूर्व सदस्य, सदस्य या सोसायटी द्वारा नियुक्त सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के जमानतदार से जुड़े विवादों की परिकल्पना की गई है; ऐसी सोसायटी सोसायटी का सदस्य है या नहीं। इसलिए खंड (ई) और (एफ) का मौजूदा मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है क्योंकि ये किसी अन्य

सोसायटी, ऐसी सोसायटी के परिसमापक या किसी सोसायटी के लेनदार के बीच विवादों से संबंधित हैं।

15. यह हमें धारा 64 (1) के खंड (सी) के साथ छोड़ देता है जो गैर-सदस्यों के बीच विवादों को दर्शाता है जिन्हें सोसायटी और सोसायटी द्वारा ऋण दिया जाता है या सोसायटी या किसी गैर-सदस्य के बीच विवाद जिसके साथ सोसायटी का "व्यावसायिक लेन-देन" है या ऐसी सोसायटी के तहत दावा करने वाले किसी व्यक्ति।

16. अपीलकर्ता-समाज की ओर से यह तर्क दिया गया कि एक ओर समाज और दूसरी ओर प्रतिवादी के बीच अचल संपत्ति की बिक्री और खरीद के अनुबंध से उत्पन्न विवाद इस खंड के अंतर्गत आता है। सोसायटी एक लेन-देन से उत्पन्न विवाद में एक पक्ष थी जो सोसायटी और प्रतिवादी गैर-सदस्यों के बीच एक व्यापारिक लेनदेन था। तथ्य यह है कि एकल लेनदेन से संबंधित विवाद, अपीलकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार, एमपी सामान्य खंड अधिनियम, 1957 की धारा 5 के प्रावधानों के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं रखता है। यह तर्क दिया गया कि उस प्रावधान ने यह स्पष्ट कर दिया कि एकवचन में शब्दों में बहुवचन शामिल होगा, और इसके विपरीत। इसका तात्पर्य यह था कि एकल व्यावसायिक लेनदेन ऐसे किसी भी लेनदेन से उत्पन्न विवाद को भी धारा 64 के दायरे में ला सकता है।

17. उत्तरदाताओं की ओर से, यह तर्क दिया गया कि धारा 64(1)(सी) का इस मामले में कोई आवेदन नहीं है, न केवल इसलिए कि एक एकल लेनदेन व्यवसाय नहीं बनता है, बल्कि इसलिए भी कि विधायिका ने जानबूझकर "व्यवसाय लेनदेन" अभिव्यक्ति का उपयोग किया है यह स्पष्ट करने के लिए कि यह केवल लेनदेन की एक श्रृंखला है जो ऐसे लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विवाद को धारा 64 के दायरे में लाएगी। अधिनियम के अध्याय VII में अंतर्निहित योजना जो विवादों के निपटान का प्रावधान करती है, स्पष्ट रूप से सुझाव देती है कि यह केवल जब कई लेनदेन होते हैं जिन्हें

"व्यावसायिक लेनदेन" के रूप में वर्णित किया जा सकता है, तो ऐसे लेनदेन से उत्पन्न कोई भी विवाद धारा 64 के दायरे में आएगा। ऐसे विधायी इरादे के प्रकाश में, अपीलकर्ता-समाज द्वारा सामान्य खंड अधिनियम के प्रावधानो से सहायता नहीं मांगी जा सकती ।

18. अधिनियम की धारा 64(1) के खंड (सी) में प्रदर्शित व्यावसायिक लेनदेन की अभिव्यक्ति का वास्तविक दायरा और अर्थ क्या है, यह हमारे विचार का विषय है। उस अभिव्यक्ति को अधिनियम या अन्यत्र परिभाषित नहीं किया गया है। पी. रामनाथ अय्यर द्वारा लिखित एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन (3 संस्करण, 2005) में "व्यावसायिक लेनदेन" अभिव्यक्ति का वर्णन इस प्रकार किया गया है।

> "व्यावसायिक लेन-देन एक सामान्य अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग इस अर्थ में किया जाता है कि यह एक लेन-देन है जिसे एक व्यावसायिक व्यवसाय में एक व्यवसायी करेगा।"

19. उपरोक्त अभिव्यक्ति का अर्थ काफी सटीक है इसलिए स्वीकार्य है। जो कुछ जोड़ा जा सकता है वह यह है कि किसी लेनदेन को "व्यावसायिक लेनदेन" के रूप में माना जा सकता है, यह एक ऐसा लेनदेन होना चाहिए जो लेनदेन के दोनों पक्षों के दृष्टिकोण से उपरोक्त विवरण का उत्तर देता हो। एक पक्ष की ओर से लेन-देन और दूसरे की ओर से कुछ और, यह व्यापारिक लेन-देन नहीं हो सकता। यह द्विपक्षीय रूप से व्यापार होना चाहिए। तो एक एकल लेन-देन देखा गया जहां अचल संपत्ति का मालिक अपनी जमीन किसी सोसायटी को बेचने के लिए सहमत होता है, यह एक व्यावसायिक लेनदेन हो भी सकता है और नहीं भी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि विक्रेता लाभ के लिए संपत्ति बेचने के व्यवसाय में है या नहीं। यदि विक्रेता ऐसे किसी व्यवसाय में नहीं है, तो उसके दृष्टिकोण से लेन-देन व्यावसायिक लेन-देन नहीं होगा, भले ही सोसायटी के दृष्टिकोण से लेन-देन व्यावसायिक लेन-देन हो सकता है, क्योंकि सोसायटी

जमीन खरीदने के व्यवसाय में है। और अपने सदस्यों के लाभ के लिए इसे विकसित कर रहा है। ऐसे मामले में संपत्ति की बिक्री का लेनदेन "व्यावसायिक लेनदेन" की अभिव्यक्ति से बाहर होगा। कुछ इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय ने मणिपुर प्रशासन बनाम एम. नीला चंद्र सिंह (एआईआर 1964 एससी 1533) में अपनाया था। यह न्यायालय उस मामले में मणिपुर खाद्यान्न डीलर लाइसेंसिंग आदेश 1958 के प्रावधानों से निपट रहा था। सवाल यह था कि क्या खाद्यान्न की बिक्री, खरीद या भंडारण का एक लेनदेन संबंधित व्यक्ति को डीलर बनाने के लिए पर्याप्त था और क्या ऐसा कोई कार्य व्यवसाय माना जाएगा। इस तर्क को खारिज करते हुए कि एक एकल लेनदेन भी "व्यवसाय" होगा, इस न्यायालय ने कहा:

> "इस सवाल से निपटने में कि क्या प्रतिवादी आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत दोषी है, यह तय करना आवश्यक है कि क्या उसे आदेश के खंड 3 के अर्थ के तहत डीलर कहा जा सकता है। एक डीलर खंड 2 (ए) द्वारा परिभाषित किया गया है और उस परिभाषा पर हम पहले ही गौर कर चुके हैं। उक्त परिभाषा से पता चलता है कि किसी व्यक्ति को डीलर कहने से पहले यह दिखाया जाना चाहिए कि वह किसी भी चीज की खरीद या बिक्री या अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुएं की बिक्री के लिए भंडारण का व्यवसाय करता है, और यह कि बिक्री किसी भी समय 100 मिलियन डॉलर या उससे अधिक की मात्रा में होनी चाहिए। यह ध्यान दिया जाएगा कि आवश्यकता यह नहीं है कि व्यक्ति को केवल संबंधित खाद्यान्न को बेचना, खरीदना या भंडारण करना चाहिए, लेकिन उसे ऐसी खरीद, बिक्री या भंडारण का व्यवसाय करना चाहिए; और संदर्भ में व्यवसाय की अवधारणा को आवश्यक रूप से लेनदेन की निरंतरता को बनाए रखना चाहिए। यह बिक्री, खरीद या भंडारण का एकल, आकस्मिक या एकान्त लेनदेन नहीं है जो एक व्यक्ति को डीलर बना देगा। यह केवल वहीं है जहां यह दिखाया गया है

कि उक्त लेनदेन में से एक या दूसरे की निरंतरता है, जिससे परिभाषा द्वारा निर्धारित व्यवसाय की आवश्यकताएं संतुष्ट होंगी। यदि परिभाषा के इस तत्व को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो यह "व्यवसाय" शब्द के उपयोग को निरर्थक और अर्थहीन बना देगा। श्री खन्ना ने हमारे समक्ष यह उचित रूप से स्वीकार किया है कि लेनदेन 100 एमडीएस का होना चाहिए या किसी भी एक समय में अधिक परिभाषा में निर्दिष्ट वस्तुओं के साथ लेनदेन के सभी वर्गों को नियंत्रित करता है। चाहे वह खरीदारी हो या बिक्री या भंडारण किसी भी समय यह 100 एमडीएस या अधिक का होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हमारे सामने कोई विवाद नहीं है कि 100 एमडीएस से कम का निर्धारित वस्तुओ का खुदरा लेनदेन डीलर की परिभाषा के दायरे से बाहर हैं।"

20. इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ बरेंद्र प्रसाद रे और अन्य बनाम आयकर अधिकारी 'ए' वार्ड, विदेशी अनुभाग और अन्य। (1981) 2 एससीसी 693 में भी दिया जा सकता है जहां इस न्यायालय ने "व्यवसाय" शब्द की व्याख्या की और माना कि यह व्यापक-आयात की अभिव्यक्ति है और इसका मतलब किसी व्यक्ति द्वारा अपने श्रम या कौशल के उपयोग से निरंतर और व्यवस्थित रूप से लाभ कमाने के लिए की जाने वाली गतिविधि है। बी.आर. उद्यम आदि बनाम यूपी राज्य और अन्य, आदि (1999) 9 एससीसी 700 में इस न्यायालय ने माना कि व्यवसाय व्यापार से अधिक व्यापक शब्द है। इसमें लगभग वह सब कुछ शामिल है जो आनंद से अलग एक व्यवसाय है। हालाँकि, इस शब्द का अर्थ इसके संदर्भ के अनुसार किया जाना चाहिए। महेश चन्द्र बनाम क्षेत्रीय प्रबंधक यू.पी. वित्तीय निगम और अन्य (1993) 2 एससीसी 279, और एस. मोहन लाल बनाम आर. कोंडैया (1979) 2 एससीसी 616 मामले में इस न्यायालय के निर्णय भी इसी आशय के हैं।

21. यह कहना पर्याप्त है कि जबकि अभिव्यक्ति "व्यवसाय" का बहुत व्यापक अर्थ है और इसका अर्थ कोई भी गतिविधि है जो निरंतर और व्यवस्थित है, व्यवसाय क्या होगा इसके बारे में धारणाएं सार्वजनिक से निजी क्षेत्र या औद्योगिक वित्तपोषण से वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्रों तक भिन्न हो सकती हैं। यह निश्चित है कि व्यवसाय बनाने के लिए कोई भी गतिविधि व्यवस्थित और निरंतर होनी चाहिए। मौजूदा मामले जैसी परिस्थितियों में एकल लेन-देन, लेन-देन के दोनों पक्षों के लिए व्यवसाय नहीं बनेगा। किसी भी दर पर, विधायिका ने "व्यावसायिक लेनदेन" अभिव्यक्ति का उपयोग करते हुए इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ा है कि यह एक तरफ एक समाज और दूसरी तरफ एक तीसरे पक्ष के बीच एक अकेला लेनदेन नहीं है, जो ऐसे किसी भी लेनदेन से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को धारा 64(1)(सी) के दायरे में लाएगा। विवाद उन पक्षों के बीच होना चाहिए जिनके बीच लेन-देन की एक श्रृंखला रही है, प्रत्येक लेन-देन एक व्यापारिक लेन-देन है ताकि धारा 64 के प्रावधानों को आकर्षित किया जा सके और ऐसे किसी भी लेन-देन से उत्पन्न होने वाले विवाद को इसके दायरे में लाया जा सके।

22. यह तर्क कि "व्यावसायिक लेनदेन" अभिव्यक्ति में प्रयुक्त बहुवचन में म.प्र. सामान्य खंड अधिनियम की धारा 5(बी) के प्रावधानों के मद्देनजर एकवचन शामिल होना चाहिए, ने हमें प्रभावित नहीं किया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि म.प्र. सामान्य खंड अधिनियम 1957 की धारा 5, सेंट्रल जनरल क्लॉजेज एक्ट की धारा 13 की तरह, एकवचन में बहुवचन को शामिल करने का प्रावधान करता है और इसके विपरीत, केवल तभी जब संदर्भ से कोई अलग इरादा प्रकट न हो। मौजूदा मामले में यह इरादा न केवल अधिनियम की योजना से बल्कि उस संदर्भ से भी स्पष्ट प्रतीत होता है जिसमें अभिव्यक्ति "व्यावसायिक लेनदेन" का उपयोग किया गया है। प्रावधान में अंतर्निहित उद्देश्य और मंशा केवल ऐसे विवादों को धारा 64 के दायरे में लाना प्रतीत होता है जैसे कि दोनों पक्षों के लिए व्यवसाय से उत्पन्न होने वाले विवाद और कई

लेनदेन शामिल हैं। न्यूजपेपर्स लिमिटेड बनाम राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण, उ.प्र. और अन्य (एआईआर 1957 एससी 532 और मैसर्स ढांढनिया केडिया एंड कंपनी बनाम आयकर आयुक्त (एआईआर 1959 एससी 219) में इस न्यायालय के निर्णय ने कानूनी स्थिति तय कर दी है और घोषणा की है कि बहुवचन सहित एकवचन और इसके विपरीत के संबंध में सामान्य खंड अधिनियम की धारा 13 के अंतर्निहित सिद्धांत का सार्वभौमिक अनुप्रयोग नहीं है और यह सिद्धांत तभी लागू हो सकता है जब योजना या क़ानून में प्रयुक्त भाषा से कोई विपरीत इरादा न निकाला जाए।

23. मौजूदा मामले में, एक एकल लेन-देन था जिसके तहत उत्तरदाताओं-विक्रेताओं ने अपीलकर्ता-समाज को जमीन का एक पार्सल बेचने के लिए सहमति व्यक्त की थी, समाज द्वारा उन वस्तुओं के संदर्भ में उपयोग के लिए जिनके लिए यह स्थापित है। इस अर्थ में, यह एक लेनदेन हो सकता है जो अपीलकर्ता-समाज के व्यवसाय को छूता है लेकिन यह सामान्य आधार है कि उत्तरदाता एक वाणिज्यिक या व्यावसायिक गतिविधि के रूप में भूमि बेचने के व्यवसाय में नहीं थे, क्योंकि यह किसी के लिए भी मामला नहीं है कि उत्तरदाता संपत्ति डीलर थे या उनके पास एक भूमि बैंक था और एक व्यवस्थित गतिविधि के रूप में, पैसा बनाने के लिए भूमि बेच रहे थे। यदि उत्तरदाता कृषक थे जो अपीलकर्ता-कंपनी को कृषि भूमि बेचने के लिए सहमत हुए थे, तो लेनदेन, उनके दृष्टिकोण से, "व्यावसायिक लेनदेन" नहीं था। क्या हमें पता होना चाहिए कि लेन-देन पारिवारिक आवश्यकता, गरीबी या ऐसी ही किसी अन्य मजबूरी के कारण हुआ होगा। बिना किसी व्यावसायिक तत्व के ऐसा लेन-देन, धारा 64(1)(सी) के अर्थ में "व्यावसायिक लेन-देन" को तो छोड़ ही दें, इसे "व्यावसायिक लेन-देन" भी नहीं माना जा सकता है।

24. ऊपर बताए गए कारणों से प्रश्न संख्या 2 का उत्तर नहीं में दिया जाना चाहिए।

25. परिणामस्वरूप यह अपील विफल होती है और इसे खारिज किया जाता है, लेकिन इन परिस्थितियों में पक्षकारो को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

कल्पना के.त्रिपाठी अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।